

डिक्री बमुकदमें ईब्लादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 460/2025

जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया

-वादी

बनाम्

1. गुरदेव सिंह पुत्र श्री भूर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
2. गुरदेव सिंह पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
3. परनीतकौर पुत्री श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
4. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
5. मनजोत सिंह पुत्र श्री कुलविन्द्र सिंह आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मनदीप कौर पत्नी श्रीकुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
6. शरणदीप सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदी मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 19/33 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.759 है. कृषिभूमि का प्रतिवादी सं. 6 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने व इसी प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 ए.एम.पी. के खाता सं. 28/21 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.783 है. कृषिभूमि में से वादी को 1.771 है. कृषिभूमि का एवं प्रतिवादी सं. 6 को 0.506 है. कृषिभूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम करने तथा इसी प्रकार वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 ए.एम.पी. के खाता सं. 22/12 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 4.743 है. कृषिभूमि में से प्रतिवादी सं. 4 को 2.972 है. कृषिभूमि का एवं प्रतिवादी सं. 5 को 1.012 है. कृषिभूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में रथगन आदेश आदि नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज  नल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक  अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1/10/2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
संगरिया